समक्ष माननीय अध्यक्ष राजस्व मंडल म. प्र. ग्वालियर कैंप भोपाल
[प्र. क्र. : M-662/PBR/10]

Miss-194-PBR/2011

किंग इंटरप्राइजेज - - आवेदक / अनावेदक

Vs

म. प्र. औ. वि. नि. - - अनावेदक

आवेदन प्रकरण में पुकार के समय हुई चूक क्षमा करने बाबत

आवेदक की ओर से सादर निवेदन है;

1] यह कि आवेदक द्वारा आयुक्त महोदय से त्रस्त व परेशान होकर, एवं विधि की मंशा के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही होने से निगरानी प्रकरण का निराकरण अन्य सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा किए जाने हेतु निवेदन 18/5/2010 को किया गया था।

2] उक्त तिथि के पश्चात प्रकरण में 28-7-2010, 19-8-2010, 27-8-2010, 21-9-2010, 21-10-2010, 24-11-2010, 18-1-2010 विभिन्न कारणों से नियत की गई। आवेदक आदेशानुसार ही सुनवाई को नियमित रूप से उपस्थित होता रहा एवं दिनांक 28-01-11 को भी सुनवाई में उपस्थित रहा, तब तक माननीय बोर्ड पर नहीं आ सके थे एवं आवेदक को अन्य प्रकरणों में उपस्थिति हेतु जाना आवश्यक था।

3] अन्य प्रकरणों में विभिन्न न्यायालयों में उपस्थिति के पश्चात करीब 3.30 उपरान्त आवेदक वापस माननीय के समक्ष उपस्थित होने आया। किंतु तब यह जानकारी दी गई कि माननीय द्वारा प्रकरण आदेशार्थ बंद कर दिया गया है एवं आवेदक की अनुपस्थिति दर्ज की गई है।

4] यह कि "प्रकरण का त्वरित निराकरण हो सके", इसे दृष्टिगत रखते अनावेदक द्वारा दी गई उक्त जवाब की प्रति का जवाब भी आवेदक द्वारा उसी दिन तैयार कर लिया गया था। किंतु उपरोक्त वर्णित कारण से कार्यालय में संबंधित सहायक महोदय द्वारा उसे लिखित में सहमति नहीं देते माननीय को ही प्रस्तुत करने का कहा गया होने से संलग्न स्पष्टीकरण माननीय के समक्ष अनुपस्थिति [पुकार के समय] को क्षमा करने के निवेदन सहित मय निम्न वास्तुस्थिति सहित प्रस्तुत है कि;

म.प्र.अ.आ. आज
दिनांक 1-2-11 को
भोपाल कैंप में प्रस्तुत

1-2-11

5-2-11

27.8.2015

आवेदक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 1.2.11 को प्रस्तुत करने के उपरांत कोई भी उपस्थित नहीं हो रहा है। अतः आवेदक की ओर से प्रकरण के निराकरण में रुचि नहीं लेने के कारण समाप्त किया जाता है।

अध्यक्ष